

पत्रांक- 12/अ.6-30/2011-1420

**झारखंड-सरकार**  
**मानव संसाधन विकास विभाग**  
**(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)**

प्रेषक,  
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)  
-सह-संयुक्त सचिव,  
झारखंड, रांची।

सेवा में,  
सचिव,  
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
'शिक्षा केन्द्र-2, कम्यूनिटी सेंटर,  
प्रीत विहार, विकास मार्ग,  
नई दिल्ली-110092

विषय:- संत अरविन्दो अकादमी, अरगोड़ा, डिवडीह, रांची को सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।  
रांची, दिनांक 02-06-12

महाशय,  
उपर्युक्त विषयक संत अरविन्दो अकादमी, अरगोड़ा, डिवडीह, रांची से प्राप्त आवेदन (जयाप्रति संलग्न) पर सम्बन्ध विचारोपरान्त राज्य सरकार ने इस विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्धता हेतु दिमागीय अधिसूचना संख्या-671 दिनांक-16.03.2012 के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया है:-

- (i) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र सैद्धान्तिक होगा तथा सी0बी0एस0ई0 अपने निर्धारित मानकों के आधार पर विद्यालय का निरीक्षण करेंगे एवं अपने निर्धारित शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही विद्यालय को अपनी सम्बद्धता प्रदान करेंगे।
- (ii) विद्यालय प्रबंधन को निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 एवं इससे संबंधित मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार/मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा निर्गत नियमावली अथवा दिशा-निर्देशों का पूर्णतः विधि सम्मत अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (iii) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी समय-समय पर आवश्यकता के अनुरूप विद्यालय का पर्यवेक्षण कर सकेंगे कि विद्यालय द्वारा उक्त निर्धारित मापदण्डों का विधि सम्मत अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं।
- (iv) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी0बी0एस0ई0), नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदित विद्यालयों को इनसे संबंधित बोर्ड द्वारा निर्गत नियमावली में निर्धारित अर्हता एवं उपर्युक्त अनुदेशों का उल्लंघन करने पर विद्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार का होगा। ऐसी स्थिति में इस आशय की सूचना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भी दी जायेगी।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन  
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)  
-सह-संयुक्त सचिव  
झारखंड, रांची।

ज्ञापक-12/अ.6-30/2011-1420  
प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के सचिव/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रसंडल, रांची/जिला शिक्षा पदाधिकारी, रांची/सचिव/प्राचार्य, संत अरविन्दो अकादमी, अरगोड़ा, डिवडीह, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Manager  
St. Arvindo Academy  
Agora, Ranchi

Principal  
St. Arvindo Academy  
Agora, Ranchi  
President  
St. Arvindo Academy  
Agora, Ranchi

Principal  
St Arvindo Academy  
Agora, Ranchi

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)  
सह-संयुक्त सचिव  
झारखंड, रांची।  
Secretary  
St. Arvindo Academy  
Agora, Ranchi